न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ

1– पूर्ण सिंह वल्द आत्मा सिंह
2– बसन्त सिंह वल्द शेरसिंह
3– रेशम सिंह वल्द शेरसिंह
4– बन्ता सिंह वल्द शेरसिंह
सभी जाति जट सिख निवासी चिस्तियां तहसील व जिला हनुमानगढ।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– स्टेट ऑफ राजस्थान
2– दुलामल पुत्र टीकमदास मृतक जरिये कायम मुकाम :–
2/1– दयान्नद
2/2– पारवती
2/3– ननकी
2/4– देवी
2/5– हंसा
2/6– माधो
2/7– सुन्दर
सभी जाति सिंधी निवासी जोधपुर, राजस्थान

.....रेस्पोन्डटेन्टस

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ

1– जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री पाला सिंह
2– गुरमेल सिंह पुत्र श्री सौदागर
3– प्रगट सिंह पुत्र श्री सौदागर
4– रणधीर सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह
5– नक्षत्र सिंह पुत्र श्री साधू सिंह
6– पृथ्वी सिंह पुत्र श्री साधू सिंह
7– हजूर सिंह पुत्र श्री साधू सिंह
8– सोहन सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह
9– इकबाल सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह
10– भगवान सिंह पुत्र श्री हजूर सिंह
11– जगनन्दन सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह
12– सुखचैन सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह
13– निर्मल सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ
पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ
जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि

14- निशान सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह
15- मेजर सिंह पुत्र श्री शेरसिंह
सभी जाति जट सिख निवासी चिस्तियां तहसील व जिला हनुमानगढ।

.....अपीलान्टस

बनाम

1- स्टेट ऑफ राजस्थान
2- दुलामल पुत्र टीकमदास मृतक जरिये कायम मुकाम :-
2/1- दयान्नद
2/2- पारवती
2/3- ननकी
2/4- देवी
2/5- हंसा
2/6- माधो
2/7- सुन्दर
सभी जाति सिंधी निवासी जोधपुर, राजस्थान

.....रेस्पोन्डटेन्टस

एकल-पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री सतवीर सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री वी. पी. सिंह, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 09 जुलाई, 2018

निर्णय

1- उपरोक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा-23(2-A) **The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973** (जिसे निर्णय में संक्षिप्त नाम अधिनियम 1973 कहा गया है) विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 19-9-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ ने सीलिंग Re-open प्रकरण

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ
पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ
जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि

संख्या–97/94 (पुराना नम्बर–2/89) शीर्षक राजस्थान सरकार बनाम दुलामल आदि को निर्णित करते हुये ऐससी दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को 104 बीघा भूमि मानते हुये 62.10 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी माना तथा 41.10 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर बहक सरकार अधिग्रहित करने के आदेश पारित किये।

2– उपरोक्त दोनों ही अपीलें एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा दोनों अपीलों में विवाद बिन्दू एक समान होने के कारण दोनों अपीलों को एकल निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों के साथ संलगन की जावे।

3– दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्यानुसार विद्वान प्राधिकृत अधिकारी एवं उप जिलाधीश, हनुमानगढ ने **CHAPTER III-B RESTRICTIONS ON HOLDING LAND IN EXCESS OF CEILING AREA.** (जिसे निर्णय में पुराना सीलिंग कानून कहा गया है) के तहत सीलिंग प्रकरण संख्या–78/71 शीर्षक सरकार बनाम दुलामल प्रारम्भ किया व अपने निर्णय दिनांक 18–8–19971 के द्वारा ऐससी दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को सीलिंग सीमा से कम भूमि मानकर सीलिंग प्रकरण Drop कर दिया। विद्वान उप जिलाधीश, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 18–8–1971 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा पत्रावली संख्या–एफ(1)393/ राज./सी/78 शीर्षक सरकार बनाम दुलामल अन्तर्गत धारा–15(2) अधिनियम 1973 प्रारम्भ की व अपने निर्णय दिनांक 28–2–1989 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं उप जिलाधीश, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 18–8–1971 राज्य सरकार के हितों के विपरीत मानकर प्रकरण को Re-open करने के आदेश पारित किये। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28–2–1989 की पालना में Re-open प्रकरण संख्या–2/89 विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा प्रारम्भ किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर यह पत्रावली विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ के न्यायालय में सीलिंग Re-open प्रकरण संख्या–97/94 शीर्षक सरकार बनाम दुलामल दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की गयी। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ने ऐससी दुलामल को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किये। परन्तु ऐससी दुलामल सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर अन्यत्र चला गया। जिस पर नोटिस तामिल नहीं होने पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ ने क्रेतागण को दिनांक 15–5–2001 को नोटिस जारी किये। क्रेतागण / वर्तमान अपीलान्टस ने जवाब प्रस्तुत किया। विद्वान अतिरिक्त

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ
पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ
जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि

जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 19–9–2001 के द्वारा ऐससी दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को 104 बीघा भूमि निर्धारित कर 62.10 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी माना तथा शेष 41.10 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर बहक सरकार अधिग्रहित करने के आदेश पारित किये। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 19–9–2001 से व्यथित होकर वर्तमान दोनों अपीलें क्रेतागण / अपीलान्टस द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि ऐससी दुलामल के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण संख्या–78/71 (पुराना सीलिंग कानून) विद्वान प्राधिकृत अधिकारी एवं उप जिलाधीश, हनुमानगढ द्वारा प्रारम्भ किया गया था। ऐससी दुलामल द्वारा प्रस्तुत Draft Statement दिनांक 14–3–1964 में अपने परिवार के दस सदस्य घोषित किये गये। इस घोषण पत्र के विपरीत राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी गयी, जिससे यह साबित होता हो कि ऐससी दुलामल के परिवार में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को पांच से कम सदस्य हो। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2001 परिवार के पांच सदस्यों से कम मानकर निर्णय पारित किया गया है, जो प्रत्यक्षतः ही त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि विद्वान उप जिलाधीश हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 18–8–1971 को राज्य सरकार द्वारा धारा–15(2) के तहत दिनांक 28–2–1989 के आदेश से Re-open किया गया है। धारा–15(2) अधिनियम 1973 के तहत निर्णय के सात वर्ष के अन्दर अथवा दिनांक 30–6–1979 जो भी पश्चातवर्ती हो, की हद तक ही प्रकरण को Re-open किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा Re-open आदेश दिनांक 28–2–1989 निर्धारित समयावधि के पश्चात का होने के कारण शून्य है। इस आदेश से सीलिंग प्रकरण संख्या–78/71 को Re-open नहीं किया जा सकता है। इस बिन्दू पर विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने R.R.D. 2017 Page-675, R.R.D. 2016 Page-441 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि पुराना सीलिंग कानून के तहत पांच सदस्यों का एक परिवार 30 स्टोन्डर्ड एकड भूमि धारण करने का अधिकारी है। ऐससी के धारण में

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ
पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ
जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि

निर्धारित तिथि 1–4–1966 को 104 बीघा भूमि साधारण भूमि थी। जिसे स्टेन्डर्ड एकड में परिवर्तित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2001 पारित कर दिया गया। इस बिन्दू पर भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि ऐससी दुलामल भारत – पाक के विभाजन के समय पाकिस्तान से विस्थापित के रूप में भारत आया था। पुर्नवास विभाग द्वारा ऐससी दुलामल को परिवार के रूप में 104 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। पुर्नवास विभाग द्वारा जो भूमि आवंटित की जाती है वह परिवार को आवंटित की जाती है। इस 104 बीघा भूमि में दुलामल के भाई टहलामल भी हिस्सेदार था। टहलामल ने एक राजस्व वाद संख्या–45/66 शीर्षक टहलामल बनाम दुलामल दिनांक 30–11–1963 को न्यायालय सहायक कलेक्टर, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दावा में राज्य सरकार भी एक पक्षकार थी। विद्वान सहायक कलेक्टर, हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 30–3–1966 के द्वारा 104 बीघा भूमि में से 52.00 बीघा भूमि की घोषणा टहलामल के पक्ष में कर दी। जिसके आधार पर इन्तकाल संख्या–35 दिनांक 18–6–1971 को स्वीकृत कर Record of Right में अंकन हो गया। विद्वान सहायक कलेक्टर, हनुमानगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–3–1966 का है जो निर्धारित तिथि 1–4–1966 से पूर्व होने के कारण ऐससी दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को 52.00 बीघा भूमि है जो सीलिंग सीमा से कम है। इस बिन्दू पर भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2001 निरस्त किये जाने योग्य है।

6– इसके विपरीत विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि यह अपील खरीददार द्वारा की गयी है। खरीददार अपील प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को 104 बीघा भूमि थी जिसमें से 41.10 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण सीलिंग सीमा से अधिशेष घोषित की गयी है। जहां तक ऐससी दुलामल व उसके भाई के मध्य विभाजन की डिक्री दिनांक 30–3–1966 का प्रश्न है। वह डिक्री सीलिंग प्रावधान को निष्प्रभावी करने के लिये प्राप्त की गयी है। ऐसे निर्णय का कोई अर्थ नहीं है। सीलिंग Re-open प्रकरण में दुलामल परिवार की सूची प्रस्तुत नहीं की है। इसलिये दुलामल के परिवार में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को पांच से कम सदस्य मानकर निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ
पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ
जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि

7– विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस का उत्तर देते हुये विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि सीलिंग प्रकरण में क्रेतागण अपील प्रस्तुत करने में सक्षम है क्योंकि इस प्रकरण में ऐससी दुलामल अपनी सम्पूर्ण भूमि का विक्रय कर चला गया है। जिसका कोई अता–पता नहीं है। सम्पूर्ण प्रयास के पश्चात भी दुलामल के नोटिस तामील नहीं होने पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ ने क्रेतागण को पक्षकार बनाकर नाटिस जारी किये। क्रेतागण ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसी आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–9–2001 पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने R.B.J. 2002 Page-462, R.R.D. 2007 Page-201 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णित किया है कि क्रेतागण अपील प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है।

8– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9– इस अपील के निर्णय में सर्वप्रथम इस बिन्दू को निर्णित किया जाना आवश्यक है कि क्या क्रेतागण सीलिंग प्रकरण में ऐससी के विरूद्ध पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है अथवा नहीं। सीलिंग Re-open प्रकरण संख्या–97/94 में ऐससी दुलामल को नाटिस जारी किया गया, परन्तु ऐससी दुलामल अपनी सम्पूर्ण भूमि का विक्रय कर अन्यत्र चला गया जिस पर नोटिस तामील नहीं हुये। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ने क्रेतागण को नोटिस जारी किये। क्रेतागण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा R.R.D. 2007 Page-201 तथा R.B.J. 2002 Page-462 न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि क्रेतागण अपील प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है।

R.R.D. 2007 Page-201

The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973, Sections 23(2) & 15(1) - Chapter III-B (Old Ceiling Law), Section 30-DD Appeal against order of Addl. Collector - Held, transferees are aggrieved persons and had a right and Iocus standi to file appeal - Appeal is maintainable -

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ
पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ
जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि

Addl. Collector has not recognised the transfers on the ground being not bonafide - Collector has neither heard the transferees nor himself made any scruting whether the transfers are bonafide or not which was his legal responsibility - Order of Addl. Collector, set aside - Cases remanded and directions issued to the Addl. Collector. (Paras 8 to 10)

R.B.J. 2002 Page-462

The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973, Sections 23 - Transferee is aggrieved person entitled to file appeal - Generally speaking a person can be said to be aggrieved by an order which is to his detriment, pecuniary or otherwise or cause him some prejudice in one form or other. When the petitioners are purchasers and their right, which they acquired through registered sale deed, was directly affected by the order of the Collector, Jalore, therefore, they should have been considered "aggrieved persons" and were entitled to file appeal u/s 23 of the Act of 1973. **Writ petition allowed.**

10- उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से क्रेतागण/ अपीलान्ट अपील प्रस्तुत करने में सक्षम तथा अधिकारी हैं। इस अपील का दूसरा महत्वपूर्ण विवाद बिन्दू यह है कि सीलिंग प्रकरण संख्या-78/71 निर्णय दिनांक 18-8-1971 को राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 28-2-1989 से Re-open करने के आदेश दिये हैं। धारा-15(2) के तहत Re-open के आदेश निर्णय के सात साल अथवा दिनांक 30-6-1979 जो भी पश्चातवर्ती हो, के अन्दर ही Re-open किया जा सकता है। इस प्रकरण में निर्णय दिनांक 18-8-1971 को दिनांक 28-2-1989 के आदेश से Re-open करने के आदेश दिये गये हैं, जो निर्धारित तिथि के पश्चात का होने के कारण शून्य है। इस बिन्दूपर R.R.D. 2016 Page-441,

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ
पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ
जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि

R.R.D. 2017 Page- 675 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये। दोनों ही न्यायिक दृष्टान्तों में उपरोक्तानुसार सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

R.R.D. 2016 Page-441

The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973, Sections 23(2) - Second appeal against order of ADm by which Reopened ceiling case was dropped - Held -(1) Appeal filed by State was time barred and application u/s 5 Limitation Act without reasonable explanation for delay (2) Order to reopen ceiling case by State is beyond prescribed time period u/s 15(1) - Hence void (3) Gift - Deed executed by assessee in favour of nephews (near relation) was bonafide and before Ist Jan. 1973 - Decision of ADM ceiling in considering land within ceiling limit is legal and cogent.

R.R.D. 2017 Page- 675

The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973, Sections 23(2) - Appeal against order of ADM by which 22-02 begha ceiling excess land ordered to be confiscated - Second appeal before Board - Held - Ceiling proceedings reopen on 04-11-1986 by order of Govt. - Earlier Authorized Officer dropped proceedings on 30-1-1979 - Section 15(2) of the act provides that proceedings can be reopened within 7 years of final order or by 30-6-1979 whichever is later - In present case order of reopen given after 7 years which is not sustainable and violates Section 52 Order of ADM set aside.

11- Re-open आदेश दिनांक 28-2-1989 धारा-15(2) में दिये गये प्रावधान के विपरीत होने के कारण अवैध है। इस प्रकरण का तीसरा विवाद बिन्दू ऐससी दुलामल के परिवार के सदस्यों का है। उप जिला

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ
पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ
जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि

कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 19–9–2001 के द्वारा परिवार के पांच सदस्यों से कम मानते हुये निर्णय पारित किया है। जबकि सीलिंग प्रकरण संख्या–78/71 में प्रस्तुत घोषणा पत्र में ऐससी दुलामल के परिवार के 10 सदस्य अंकित किये गये हैं। इसके विपरीत कोई भी साक्ष्य रिकार्ड पर मौजूद नहीं होने के कारण ऐससी दुलामल के परिवार में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को परिवार के 10 सदस्य नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं है। पुराना सीलिंग कानून में 5 सदस्यों का परिवार 30 स्टेन्डर्ड एकड अर्थात 62.10 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी है। परिवार के 10 सदस्य होने पर 60 स्टेन्डर्ड एकड अर्थात 125 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी है। जबकि ऐससी दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को केवल 104 बीघा भूमि साधारण भूमि थी। इस प्रकार की ऐससी दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को सीलिंग सीमा से कम भूमि थी। सहायक कलेक्टर, हनुमानगढ द्वारा दावा संख्या–45/66 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–3–1966 के द्वारा दुलामल के भाई टहलामल को 52.00 बीघा भूमि दी गयी। इस दावा में राज्य सरकार भी पक्षकार थी। दावा का निर्णय निर्धारित तिथि से पूर्व दिनांक 30–3–1966 को हो गया था। इस प्रकार भी ऐससी दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को सीलिंग सीमा से कम भूमि थी। इस बिन्दू पर R.R.D. 1986 Page-731 (L.B.) न्यायिक दृष्टान्त सहायक है। इस अपील का एक महत्वपूर्ण बिन्दू यह भी है कि विद्वान जिला कलेक्टर (प्रशासन) ने अपना निर्णय दिनांक 19–9–2001 ऐससी दुलामल के धारण में निर्धारित तिथि 1–4–1966 को 104 बीघा भूमि मानकर निर्णय पारित किया गया है। जबकि यह 104 बीघा भूमि साधारण भूमि है। साधारण भूमि को स्टेन्डर्ड एकर्ड में परिवर्तन करने पर भी यह भूमि सीलिंग सीमा से कम हो जाती है।

12– उपरोक्त निष्कर्षानुसार दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 19–9–2001 निरस्त किया जाता है तथा सीलिंग प्रकरण संख्या–97/94 (पुराना नम्बर–2/89) शीर्षक राजस्थान राज्य बनाम दुलामल को Drop किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(1) अपील / सीलिंग / 6674 / 2001 / हनुमानगढ

पूर्ण सिंह आदि बनाम सरकार आदि

(2) अपील / सीलिंग / 7288 / 2001 / हनुमानगढ

जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम सरकार आदि